

फद अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कालक्टर, बस्सी
 राजस्व भाग/प्राथमिक पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रमा संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी ③ भी उपस्थित (सं. 3) प्रार्थी सं. ① व ② उपस्थित। पत्रावली पेश की गई। ईद दिनांक 17/01/25 को। 4/2/25	
	17/1/25	पत्रावली पेश हुई। यकूलाम द्वारा कर्तव्य पत्रावली दिनांक 13/2/25	
	13/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वार्दी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदिमानुसार दिनांक 6/3/25 को पेश की	
	6/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी ③ एवं अप्रार्थी ②, ① भी उपस्थित। अप्रार्थी सं. ③ के का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की प्राथमिक पत्र प। पर अंतिम बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी, अप्रार्थी सं. ①, ② एवं अप्रार्थी सं. ③ अधिवक्ताओं द्वारा दोराने बहस जोहिर तर्कों पर मनन करने के उपरान्त भूमिवादग्रस्त ख. नं. 10/1 रकबा 1.3024 है, ख. नं. 10/2 रकबा 0.2150 है कुलकित 2 कुल रकबा 1.5174 है, ख. नं. 158/10 रकबा 0.3794 है, एवं ख. नं. 159/10 रकबा 1.2645 है, ख. नं. 160/10 रकबा 0.5058 है, ख. नं. 161/10 रकबा 1.5174 है कुल कित 3 कुल रकबा 3.2877 है आम	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>दिंडौल, पटवार हल्का लालगठ, भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र लालगठ, तस्मील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगणों को जैरेये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी से संबंधित मूलवाद 35/2023 उनवान हरिनारायण बनाम ग्यारसीलाल व अन्य के तर्फेसला वाद के उक्त खसरा नम्बरान पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>पतावली फौसल शुमार लेकर वाद तकमील दाखिल हफ्तर लेकर नम्बर से काम हो।</p>	